न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 102 / 2025	18.06.2025	08.10.2025

1–शेरसिंह पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1–मुकेश कुमार पुत्र रतिराम,
2–अशोक कुमार पुत्र रतिराम,
3–जसवन्त सिंह पुत्र रतिराम,
4–धर्मवीर पुत्र रतिराम,
5–विजय सिंह पुत्र रतिराम,
6–सरोज पुत्री रतिराम,
7–ईश्वन्ती देवी पत्नी हुकम सिंह,
8–कविता कुमारी पुत्री हुकम सिंह,
9–विनोद कुमार पुत्र हुकम सिंह,
10–सुबना कुमारी पुत्री हुकम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
11–पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर जरिर्ये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
12–यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
13–बैंक ऑफ बडौदा जरिये बीबीरानी जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
14–ए.ई.एन जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हरसौली तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
15–उप पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
16–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
17–उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(असल अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री दमन कुमार यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री दुल्ली चन्द यादव –वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली शेरसिंह बनाम मुकेश वगै0 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

कलक्टर
तिजारा (राज0)

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि उनवानी प्रकरण की पत्रावली अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्व व अप्रार्थीगण संख्या 14 विधुत विभाग द्वारा आराजी में किसी भी प्रकार का कनैक्शन जारी नही करने के लिऐ अप्रार्थी संख्या 17 उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम की अदालत में दायर किया गया है, अप्रार्थी संख्या 17 उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने विवादित आराजी की बाबत स्टै आदेश पारित किया हुआ है। किन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 उक्त मुकदमें में प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) कोटकासिम व उनके अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारियो से साज–बाज होकर उक्त मुकदमें में जारी स्थगन आदेश को हटवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम उक्त मुकदमें में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 से मिलकर व्यक्तिगत रूची रखकर उक्त प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशीया देकर मुकदमें में जारी स्थगन आदेश को हटाना चाहते है, और प्रार्थी को विवादित आराजी की बाबत नुकसान पहुचाना चाहते है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 17 उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 से मिलकर व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी–छोटी तारीख पेशीया नियत कर रहे है, और सभी कानून कायदे ताक पर रखकर जल्दबाजी में उक्त प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 17 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की सुविधानुसार व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के वकील के कहे अनुसार तारीख पेशीया नियत की जाती है, तथा मिन प्रार्थी के वकील द्वारा निवेदन करने पर भी उनके द्वारा कहे अनुसार तारीख पेशीया नियत नही की जाती है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 से मिलकर उक्त मुकदमें में जारी अस्थाई निषेधआज्ञा को विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के विपरित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधआज्ञा को खारिज करने की कोशिश में है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली में व्यक्तिगत रूचि रखकर प्रकरण की पत्रावली हर तारीख पेशी पर अन्य प्रकरणो की पत्रावलीयो से अलग रखी जाती है। प्रकरण मे विगत तारीख पेशी व उससे पहले कई बार पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थी व उसके वकील से ऐलानिया तौर पर कहा है, कि प्रकरण में जल्द से जल्द बहस करो अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर अस्थाई निषेधआज्ञा खारिज कर दूगॉ। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है, पीठासीन अधिकारी पर राजनेतिक दबाव बनाया हुआ है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 व अन्य राजनेतिक पहुच के प्रभावशाली आदमी जो की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते हुऐ देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 ने गांव में ऐलानिया तौर कर कहा है, कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम व तहसीलदार कोटकासिम से बातचीत हो गयी है, उनवानी प्रकरण का फेसला अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के कहे अनुसार आराजी का तकासमा किया जावेगा। तथा आराजी मे कनैक्शन जारी किया जावे। किन्तु बिना विधिक प्रकिया के अप्रार्थीगण आपस में साज–बाज होकर प्रकरण में जल्दबाजी कर प्रकरण का फेसला करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को किसी अन्य दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे, दौराने विचारण मुकदमा तहत अदालत पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 17 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर आगामी कार्यवाही स्थगित रखने के लिए पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1, 4 लगायत 7 व 9 लगायत 10 ने लिखित जवाब पेश किया गया। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1, 4 लगायत 7 व 9 लगायत 10 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधआज्ञा एकतरफा में जारी की गयी है। अस्थाई निषेधआज्ञा जारी हुऐ करीब 10 हो चुके है, आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 में प्रोवीजन है, कि एकतरफा में जारी अस्थाई निषेधआज्ञा को एक माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बटवारा किया हुआ है, स्वयं प्रार्थी ने अपने हिस्से में आई आराजी में बोरिग किया हुआ है, व विधुत कनैक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी स्वयं वकील है। प्रार्थना पत्र धारा 212 का निस्तारण न हो सके इस मन्शा से ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। शेष तथ्य मंनघढन्त अंकित किये गये है। प्रार्थना पत्र का मुख्य मकसद स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो सके 5 साल के लम्बे इन्तजार के बाद विधुत कनैक्शन पास हुआ है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बदयान्ती पर आधारित होने के कारण काबिल खारिज है। वकील अप्रार्थी ने अपने कथन की

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (राज०)

पुष्टि मे माननीय न्यायालय की नजीरे पेश की गयी है, आर.बी.जे.(28) 2021 पृष्ट संख्या 456–458 आर बी.जे.(28) 2021 पृष्ट संख्या 757–760 प्रस्तुत नजीरे उनवानी प्रकरण में चस्पा होती है।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर तहत अदालत से जर्ये पत्रांक 778 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा टिप्पणी तलब की गयी किन्तु अपेक्षित टिप्पणी प्राप्त नही हुई। वकुलाय के निवेदन किये जाने पर प्रकरण की बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/ अप्राथी संख्या 1, 4 लगायत 7 व 9 लगायत 10 के द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 501 / 2024 किस्म तकासमा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र संख्या 438 / 2024 किस्म 212 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, वकील प्रार्थी द्वारा उनवानी प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को लेकर न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत की पत्रावली को दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही पर भी आक्षेप प्रकट किया गया है। तहत अदालत द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार विधिक प्रकिया के तहत स्थगन आदेश जारी किया गया है, यदि प्रकरण में विधिक सुनवाई करने हेतु छोटी–छोटी तारीख पेशीया नियत की जा रही है, तो वह केवल प्रकरण का विधिवत निस्तारण किये जाने हेतु नियत की जा रही है, उक्त की जा रही कार्यवाही पर ऐतराज उचित प्रतीत नही है। विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुऐ प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज०) सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)

14- श्रीमान ए.ई. ...